


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना सं०-17/विविध 1-17/2017 - 688 (17) पटना, दिनांक- 12/12/17
स्वा०, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 एवं (संशोधन) नियमावली 2013 के आलोक में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के टेन्योर पदों पर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बाह्य चिकित्सकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल में नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।


- संबंधित स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है, वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जाएगी।
- वाह्य चिकित्सकों को वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे०-5400/-अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।
- टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पद धारक जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक है, वे अपने पैतृक संवर्ग में वापस हो जायेंगे। वैसे वाह्य चिकित्सक जो राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्य नहीं है, उनकी टेन्योर समाप्ति के पश्चात् वे उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।
- नियंत्री पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित चिकित्सकों को तुरत विरमित कर दें। सभी चिकित्सकों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर यथाशीघ्र (अधिकतम 15 दिन में) अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लें।
- योगदान के समय संबंधित महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक, ट्यूटर/सीनियर रेजिडेंट के लिए अहर्ता संबंधी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं आरक्षण कोटि के प्रमाण पत्रों की जाँचकर संतुष्ट हो लेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे।
- संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक नियुक्त ट्यूटर/सीनियर रेजिडेंट से योगदान के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्तकर लेंगे कि चिकित्सक MCI से मान्यता प्राप्त किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/संस्थान से तीन वर्षों का ट्यूटर/सीनियर रेजिडेंट की अवधि पूर्ण नहीं किये है।

नेत्र रोग				
क्रम सं०	चिकित्सक का नाम	कैटेगरी	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1	डा० प्रियंका कुमारी 8116 XXXX 2468	पी०जी०एस०	पि० वर्ग	अनु० ना० म० चिकि० महा० अ०, गया।
2	डा० विद्याभूषण कुमार 7817 XXXX 9874	पी०जी०एस०	पि० वर्ग	अनु० ना० म० चिकि० महा० अ०, गया।
ई० एन० टी				
1	डा० शंभू शरण गुप्ता 146970 XXXX 5733	पी०जी०एस०	अनु० जाति	वर्द्धमान आर्यु० संस्थान, पावापुरी, नालंदा।
2	डा० रजत रोहन 9903 XXXX 7369	पी०जी०एस०	सामान्य	ज०ला०ने० चिकि० महा०, भागलपुर।
औषधि				
1	डा० आनंद कुमार 4202 XXXX 9510	पी०जी०एस०	अनु० जाति	पटना चिकि० महा० अ०, पटना।



2	डा0 मनीष कुमार 9001 XXXX 2583	पी0जी0एस0	अ0 पि0 वर्ग	पटना चिकि0 महा0 अ0, पटना।
3	डा0 मुकुल कुमार 7310 XXXX 9823	पी0जी0एस0	सामान्य	नालंदा चिकि0 महा0 अ0, पटना।
4	डा0 राहुल कुमार 106759 XXXX 5863	पी0जी0एस0	सामान्य	नालंदा चिकि0 महा0 अ0, पटना।
5	डा0 संजीव दिवाकर 5054 XXXX 2629	पी0जी0एस0	पि0 वर्ग	श्रीकृष्ण चिकि0 महा0 अ0, मुजफ्फरपुर।
6	डा0 राकेश कुमार 5054 XXXX 2629	पी0जी0एस0	अनु0 जाति	अनु0 ना0 म0 चिकि0 महा0 अ0, गया।
7	डा0 राजीव रंजन कुमार 3621 XXXX 4202	पी0जी0एस0	पि0 वर्ग	ज0ला0ने0 चिकि0 महा0, भागलपुर।
रेडियोलॉजी				
1	डा0 पंकज कुमार गुप्ता 9394 XXXX 5359	पी0जी0एस0	पि0 वर्ग	ज0ला0ने0 चिकि0 महा0, भागलपुर।
मनोरोग				
1	डा0 दीपक कुमार 6885 XXXX 4874	पी0जी0ओ0	सामान्य	पटना चिकि0 महा0 अ0, पटना।
निश्चेतना				
1	डा0 अनुज कुमार वर्मा 4704 XXXX 8839	पी0जी0एस0	सामान्य	नालंदा चिकि0 महा0 अ0, पटना।
2	डा0 दिप्ती राज 2281 XXXX 7770	पी0जी0ओ0	पि0 वर्ग म0	नालंदा चिकि0 महा0 अ0, पटना।
3	डा0 शशिकांत जोशी 3591 XXXX 2539	पी0जी0एस0	सामान्य	ज0ला0ने0 चिकि0 महा0, भागलपुर।
4	डा0 प्रवीण कुमार सिंह 4786 XXXX 1474	पी0जी0एस0	पि0 वर्ग	श्रीकृष्ण चिकि0 महा0 अ0, मुजफ्फरपुर।
5	डा0 उमा शंकर कुमार 9138 XXXX 0898	पी0जी0एस0	पि0 वर्ग	अनु0 ना0 म0 चिकि0 महा0 अ0, गया।
स्त्री रोग				
1	डा0 खुशबू तिवारी 9603 XXXX 7923	पी0जी0एस0	सामान्य	नालंदा चिकि0 महा0 अ0, पटना।
2	डा0 रुचि प्रसाद 2282 XXXX 2933	पी0जी0एस0	अनु0 जाति	श्रीकृष्ण चिकि0 महा0 अ0, मुजफ्फरपुर।
दंत				
1	डा0 रेवति सिंह 7404 XXXX 6699	पी0जी0एस0	सामान्य	पटना चिकि0 महा0 अ0, पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


 (सच्चिदानन्द चौधरी)
 सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :-17/ विविध1-17/2017- 688(17) पटना, दिनांक :- 12/12/17

प्रतिलिपि :-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै० दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/ संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक /संयुक्त सचिव 1, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा-17) स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-1,2,3,9 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

688(17)
12/12/17


सरकार के विशेष सचिव।
12/12/17